चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल के तहत जनपद के समस्त थानों की एन्टीरोमियों टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारो के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित

आज दिनांक 26.08.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का

अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). जनपद चित्रकूट में विगत दिनों माँ मंदाकिनी नदी के जलस्तर में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के कारण जनपद के कर्वी, रामघाट एवं आस-पास के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बाढ़ के पानी से कई घरों में जलभराव हो गया था।

उक्त के क्रम में आज दिनांक 30.08.2026 को जिलाधिकारी, चित्रकूट श्री पुलकित गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा बाढ़ प्रभावित ग्रामों/मोहल्लों का संयुक्त रूप से स्थलीय भ्रमण किया गया।

भ्रमण के मुख्य बिंदु:

1. पीड़ितों से सीधा संवाद: जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बाढ़ पीड़ित परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना गया। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है।

2. राहत एवं बचाव कार्य की समीक्षा: अधिकारियों द्वारा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, राजस्व, पुलिस व स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों की समीक्षा की गई। बताया गया कि सभी प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है तथा अस्थायी राहत शिविरों में भोजन, स्वच्छ पेयजल, दवाइयों एवं प्रकाश की समुचित व्यवस्था की गई है।

3. सहायता वितरण: इस दौरान बाढ़ पीड़ितों को खाद्य सामग्री (राशन किट), पॉलीथीन शीट, दवाइयाँ तथा अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण किया गया। राजस्व विभाग को निर्देशित किया गया कि फसलों व आवासों को हुई क्षति का शीघ्र सर्वे कराकर नियमानुसार मुआवजा/आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

4. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा: मुख्य चिकित्साधिकारी को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल कैंप लगाकर जल जनित रोगों से बचाव हेतु दवाओं के छिड़काव एवं वितरण के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस बल को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर गश्त कर असामाजिक तत्वों से सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था सुचारू रखने हेतु निर्देशित किया गया।

5. अपील: जिलाधिकारी महोदय ने जनपदवासियों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, नदी के किनारे न जाएं तथा प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें। किसी भी आपात स्थिति में जिला आपदा कंट्रोल रूम नंबर या डायल 112 पर संपर्क करें।

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक महोदय ने यह भी अवगत कराया कि मंदाकिनी नदी का जलस्तर अब घट रहा है तथा स्थिति सामान्य हो रही है। कर्वी स्थित पुल की मरम्मत का कार्य NHAI द्वारा युद्धस्तर पर कराया जा रहा है, जिसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा।

(3)पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थानाध्यक्ष रैपुरा श्री रामसिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रामकुमार दुबे एवं उनकी टीम द्वारा जान से मारने की नियत से हमला करने, गाली-गलौज एवं मारपीट करने वाले 02 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. धर्मवीर पुत्र पप्पू उर्फ नरेन्द्र उम्र करीब 23 वर्ष

2. पप्पू उर्फ नरेन्द्र पुत्र मोतीलाल उम्र करीब 50 वर्ष निवासीगण ग्राम देवकली थाना रैपुरा जिला चित्रकूट

संक्षिप्त विवरण

उल्लेखनीय है कि दिनांक 29.08.2026 को वादी सूर्यभान सिंह पुत्र बाबूलाल, निवासी ग्राम देवकली, थाना रैपुरा, जनपद चित्रकूट द्वारा थाना रैपुरा पर सूचना दी गई कि दिनांक 28.08.2026 को अभियुक्तगण—

धर्मवीर पुत्र पप्पू उर्फ नरेन्द्र

पप्पू उर्फ नरेन्द्र पुत्र मोतीलाल

रणवीर पुत्र पप्पू

निवासीगण ग्राम देवकली, थाना रैपुरा, जनपद चित्रकूट द्वारा वादी एवं उसके बडे भू के ऊपर जान से मारने की नियत से हमला किया गया तथा लाठी डंडो व लात-घूंसों से मारपीट की गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 241/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3) बी0एन0एस0 बनाम उपरोक्त अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु संबंधित पुलिस टीम को निर्देशित किया गया।

इसी क्रम में दिनांक 29.08.2026 को उ0नि0 रामकुमार दुबे एवं उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त 1. धर्मवीर पुत्र पप्पू उर्फ नरेन्द्र उम्र करीब 23 वर्ष 2. पप्पू उर्फ नरेन्द्र पुत्र मोतीलाल उम्र करीब 50 वर्ष निवासीगण ग्राम देवकली थाना रैपुरा जिला चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री रामकुमार दुबे

2.उ0नि0 श्री रविकान्त राय

3.आरक्षी अमन गुप्ता

(4). जनपद चित्रकूट में लगातार हो रही बारिश के कारण मंदाकिनी (पयस्वनी) नदी के जलस्तर में बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी हैं। नदी के आसपास के संवेदनशील एवं जलभराव वाले क्षेत्रों में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है।

इसी क्रम में आज जिलाधिकारी चित्रकूट एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा जनपद में बाढ़ एवं जलभराव की स्थिति का जायजा लेते हुए रैन बसेरा एवं रामघाट क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। अधिकारियों द्वारा मौके पर मौजूद पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों से जलस्तर, सुरक्षा व्यवस्था, राहत एवं बचाव कार्य तथा आमजन की स्थिति के संबंध में जानकारी ली गई।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा संबंधित अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया कि मंदाकिनी नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नदी एवं घाटों के आसपास विशेष सतर्कता बरती जाए तथा किसी भी व्यक्ति को जोखिम वाले स्थानों पर जाने न दिया जाए। साथ ही बाढ़ प्रभावित अथवा संभावित प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा आवश्यकता पड़ने पर तत्काल राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

रैन बसेरा में की गई व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण करते हुए वहां ठहरे लोगों के लिए भोजन, पेयजल, प्रकाश, साफ-सफाई एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की जानकारी ली गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं निरंतर दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए।

रामघाट एवं मंदाकिनी नदी के आसपास पुलिस बल की तैनाती बढ़ाते हुए लगातार निगरानी की जा रही है। पुलिस द्वारा लाउडस्पीकर/अन्य माध्यमों से आमजन को नदी एवं जलभराव वाले स्थानों से दूर रहने तथा प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

जिला प्रशासन एवं चित्रकूट पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गई है कि नदी के बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए अनावश्यक रूप से नदी, घाटों एवं जलभराव वाले क्षेत्रों में न जाएं, बच्चों एवं बुजुर्गों को ऐसे स्थानों से दूर रखें तथा किसी भी आपात स्थिति में तत्काल पुलिस/प्रशासन को सूचना दें।

चित्रकूट पुलिस एवं जिला प्रशासन आमजन की सुरक्षा हेतु पूरी तरह सतर्क एवं प्रतिबद्ध है।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थानाध्यक्ष रैपुरा श्री रामसिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रामकुमार दुबे एवं उनकी टीम द्वारा जान से मारने की नियत से फायर करने, गाली-गलौज एवं मारपीट करने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही पर 01 अदद देशी अवैध .312 बोर बंदूक मय 01 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. सूर्यभान सिंह पुत्र बाबूलाल, निवासी ग्राम देवकली, थाना रैपुरा, जनपद चित्रकूट, उम्र करीब 39 वर्ष।

बरामदगी

01 अदद देशी अवैध .312 बोर बंदूक।

01 अदद खोखा कारतूस।

संक्षिप्त विवरण

उल्लेखनीय है कि दिनांक 29.08.2026 को वादी नरेन्द्र सिंह पुत्र मोतीलाल, निवासी ग्राम देवकली, थाना रैपुरा, जनपद चित्रकूट द्वारा थाना रैपुरा पर सूचना दी गई कि दिनांक 28.08.2026 को अभियुक्तगण—

सूर्यभान सिंह पुत्र बाबूलाल

विनोद कुमार पुत्र बाबूलाल

प्रणवीर सिंह पुत्र विनोद कुमार

निवासीगण ग्राम देवकली, थाना रैपुरा, जनपद चित्रकूट द्वारा वादी एवं उसके पुत्र के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किया गया तथा बंदूक की बट एवं लात-घूंसों से मारपीट की गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 240/2026, धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस बनाम उपरोक्त अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु संबंधित पुलिस टीम को निर्देशित किया गया।

इसी क्रम में दिनांक 29.08.2026 को उ0नि0 रामकुमार दुबे एवं उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त सूर्यभान सिंह पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम देवकली, थाना रैपुरा, जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर 01 अदद देशी अवैध .312 बोर बंदूक मय 01 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया।

बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आयुध अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गई।

प्रकरण में शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री रामकुमार दुबे

2.उ0नि0 श्री रविकान्त राय

3.आरक्षी अमन गुप्ता

प्रेस नोटः-चित्रकूट पुलिस

मंदाकिनी (पयस्वनी) नदी में बढ़े जलस्तर के दृष्टिगत राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा रैन बसेरा तथा रामघाट का किया गया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा

जनपद चित्रकूट में लगातार हो रही बारिश के कारण मंदाकिनी (पयस्वनी) नदी के जलस्तर में बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी हैं। नदी के आसपास के संवेदनशील एवं जलभराव वाले क्षेत्रों में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है।

इसी क्रम में आज जिलाधिकारी चित्रकूट एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा जनपद में बाढ़ एवं जलभराव की स्थिति का जायजा लेते हुए रैन बसेरा एवं रामघाट क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। अधिकारियों द्वारा मौके पर मौजूद पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों से जलस्तर, सुरक्षा व्यवस्था, राहत एवं बचाव कार्य तथा आमजन की स्थिति के संबंध में जानकारी ली गई।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा संबंधित अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया कि मंदाकिनी नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नदी एवं घाटों के आसपास विशेष सतर्कता बरती जाए तथा किसी भी व्यक्ति को जोखिम वाले स्थानों पर जाने न दिया जाए। साथ ही बाढ़ प्रभावित अथवा संभावित प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा आवश्यकता पड़ने पर तत्काल राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

रैन बसेरा में की गई व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण करते हुए वहां ठहरे लोगों के लिए भोजन, पेयजल, प्रकाश, साफ-सफाई एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की जानकारी ली गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं निरंतर दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए।

रामघाट एवं मंदाकिनी नदी के आसपास पुलिस बल की तैनाती बढ़ाते हुए लगातार निगरानी की जा रही है। पुलिस द्वारा लाउडस्पीकर/अन्य माध्यमों से आमजन को नदी एवं जलभराव वाले स्थानों से दूर रहने तथा प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

जिला प्रशासन एवं चित्रकूट पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गई है कि नदी के बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए अनावश्यक रूप से नदी, घाटों एवं जलभराव वाले क्षेत्रों में न जाएं, बच्चों एवं बुजुर्गों को ऐसे स्थानों से दूर रखें तथा किसी भी आपात स्थिति में तत्काल पुलिस/प्रशासन को सूचना दें।

चित्रकूट पुलिस एवं जिला प्रशासन आमजन की सुरक्षा हेतु पूरी तरह सतर्क एवं प्रतिबद्ध है।